न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1994–तीन/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–6–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 414/अपील/04–05

पुरूषोत्तम साहा तनय स्व. भैयालाल साहा (मृतक) वारिसान –

1-- रीता पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी राजेन्द्र खण्डेलवाल
निवासी आर.सी. प्लॉट अकोला तहसील व जि. उमरिया

2-- श्रीमती सीमा गुप्ती पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी राजन गुप्ता
निवासी वल्लभगढ़ सेक्टर नं. 3 फरीदाबाद

3-- श्रीमती आशा पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी किशन खण्डेलवाल
निवासी गर्जपारा दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

4-- श्रीमती मीरा पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी गोकुल चन्द खण्डेलवाल
निवासी भवानी माता मंदिर के पास दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

5-- श्रीमती तारा पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी
निवासी रतलाम

6-- श्रीमती मीना पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी अशोक खण्डेलवाल
निवासी भागलपुर मुण्डी चौक भीखमपुर बिहार

7-- श्रीमती शशि पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी दिनेश खण्डेलवाल
निवासी बहोद (गुजरात)

8-- श्रीमती दीपा पुत्री स्व. पुरूषोत्तम साहा पत्नी वसन्त गुप्ता
निवासी टीचर कालोनी महू जिला इंदौर म.प्र.

9-- श्रीमती नीतू पुत्री स्व. पुरूषोत्तम दास साहा
पत्नी भारत भूषण खण्डेलवाल

10-- अरूण शाहा पुत्र स्व. पुरूषोत्तम दास साहा
निवासी जयस्तम्भ के पास उमरिया ------ आवेदक

विरूद्ध

1-- सतीश चन्द तनय स्व. श्री हीरालाल साहा (मृतक) वारिसान –
अ– श्रीमती ऊषा साहा बेवा सतीशचंद साहा
ब– संदीप पुत्र स्व. सतीशचन्द्र साहा
स-- श्रीमती शिप्रा साहा पुत्री स्व. सतीश चंद साहा
द– श्रीमती श्यामा पुत्री स्व. सतीशचन्द्र साहा

2-- मोहलाल तनय स्व. श्री हीरालाल साहा (मृतक) वारिसान –
क– विजय साहा
ख– अजय साहा
ग-- संतोष साहा

पुत्रगण स्व. मोहनलाल शाह

घ– श्रीमती भागवती [illegible] पत्नी स्व. मोहनलाल शाह

3– मानिकचन्द तनय श्री [illegible] (मृतक) वारिसान –

च– मनीश शाह

छ– मयंक शाह

पुत्रगण स्व. मानिकचन्द

ज– श्रीमती रमादेवी पत्नी स्व. मानिकचन्द

समस्त निवासीगण गांधी चौक उमरिया म.प्र.

4– अमरचन्द तनय श्री गुलाबचन्द

निवासी उमरिया [illegible]

जिला उमरिया म.प्र. – अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश [illegible]

अनावेदक क. 1 के वारिसों की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर

: आदेश :

(आज दिनांक 16 [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 414/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 19–[illegible]–06 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा [illegible] पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने दिनांक [illegible] आदेश द्वारा [illegible] निरस्त की । इस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय में पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 21–7–04 को निरस्त किया गया । इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें उनके द्वारा आदेश पारित किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करते हुए अपील को समय बाधित [illegible] आदेश दिनांक 11–[illegible]–05 द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो [illegible] आदेश द्वारा निरस्त की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह पाया गया है कि दिनांक 10-1-78 को नामांतरण प्रमाणित हुआ था जिसके विरूद्ध अपील अनुपस्थिति में निरस्त हुई थी अनुपस्थिति में अपील निरस्त होने पर आवेदक का यह तर्क कि आदेश की जानकारी उनको नहीं है अपर आयुक्त ने विधिसम्मत नहीं माना है तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि जानकारी नहीं थी तो अपील किस आधार पर प्रस्तुत की गई और इतने लंबे अर्से के बाद उस तर्क को उन्होंने संदेहास्पद माना है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण अपर आयुक्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विधिसम्मत, उचित और न्यायोचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

परिणामतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है एवं यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर